



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
 Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
 Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
 e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (0);

क्रमांक: एफ4 (49)आकाशि/नि.सं./2020/ 912

दिनांक:- 25/9/20

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 2022-2023 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है—

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
मानव धर्म विकलांग सेवा संस्था, टोंक।	पन्नाधाय ईवनिंग कॉलेज, पन्नाधाय मार्ग शीतल होटल के पीछे, एन.एच-12, टोंक।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय— ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, उर्दू गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, संस्कृत, समाजशास्त्र, गणित, भूगोल। विज्ञान संकाय— भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र। वाणिज्य संकाय — एबीएसटी, ईएफएम, व्यावसायिक प्रशासन। बी.सी.ए (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)

- संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आबंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, टोंक।
- कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्तनिदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर